राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक :प.6(1)ज0सं0/15 जयपुर, दिनांक 16 FEB 2015

—: आदेश :—

जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग एवं सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं, अन्तर्राज्यीय मामलों में भारत सरकार से संबंधित मंत्रालयों एवं संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्यवाही कराने हेतु दिल्ली मुख्यालय पर राज्य के एक मुख्य अभियंता का पद सृजित किया जाना है। अतः मुख्य अभियंता, इंगानप, जैसलमेर का पद समाप्त करते हुए इसके स्थान पर मुख्य अभियंता (समन्वय एवं अन्तर्राज्यीय), राजस्थान जल संसाधन, दिल्ली का पद सृजित किया जाता है। मुख्य अभियंता (समन्वय एवं अन्तर्राज्यीय), दिल्ली का प्रशासनिक नियंत्रण जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के अधीन रहेगा।

इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य अभियंता (अन्तर्राज्यीय), कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर के पद को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता, इंगानप, जैसलमेर का पद सृजित किया जाता है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 101500457 दिनांक 13.02.15 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
sd-
(पंकज ओझा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, जल संसाधन, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति सभी संबंधित को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।
6. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सीएडी (पूर्व), जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, सीएडी (पश्चिम), इंगानप, बीकानेर।
8. वरिष्ठ शासन उप सचिव, सीएडी एवं जल उपयोगिता विभाग।
9. सचिव, इंदिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव